

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ




पत्रांक : कमेटी सैल/4979
दिनांक: 25.03.2022

अधिसूचना


परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.02.2019 के मद संख्या-31 में निर्णय लिया गया कि "परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि छात्र अपने पाठ्यक्रम में कालबाधित होने से पूर्व की अवधि में केवल एक बार ही किसी भी एक पूर्ण सेमेस्टर में, जिसमें प्रथम श्रेणी प्राप्त न हो, उसमें श्रेणी सुधार की परीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान की गयी।"

अतः एतद् द्वारा समस्त महाविद्यालयों एवं छात्रों को अवगत कराना है कि सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों के वह छात्र, जो व्यक्तिगत प्रश्नपत्र तथा Aggregate (सकलयोग) दोनों में उत्तीर्ण हैं, को बैक पेपर परीक्षा फार्म भर, अंकसुधार की अनुमति नहीं है।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. वैयक्तिक सहायक-कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक-प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक महोदय के सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)।
6. प्रभारी, (सीक्रेसी), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्रभारी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम (रिजल्ट सैल/कमेटी सैल)।
8. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
9. प्रभारी, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र।
10. विश्वविद्यालय सूचना पट।
11. M/S mascot


सहायक कुलसचिव
(व्यव०परीक्षा)
